

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215250
CG-DL-E-09012020-215250

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]
No. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 66(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विसाख-विजयवाड़ा-सिकंदराबाद पाइपलाइन परियोजना, के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्री एस भीष्मानंद, स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर, आंध्र प्रदेश सरकार को श्रीमति के सुमाथी बाई, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, अधिकृत वाया का.आ. सं. 1138 दिनांक 24 मई 2018 के स्थान पर प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर. 11025(11)/12/2018-ओ आर-I/ई-25587]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2019

S. O. 66(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes Shri. S. BHEESHMANAND, Special Grade Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh to perform the functions of Competent Authority for Hindustan Petroleum Corporation Ltd's Visakh-Vijayawada-Secunderabad Pipeline Project under the said Act, within the territory of Andhra Pradesh in place of Smt. K. Sumathi Bai authorized vide notification number S.O. 1138 dated May 24,2018 . This is effective from the date of notification.

[F. No. R-11025(11)/12/2018-OR-I/E-25587]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.